-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.07.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना कोतवाली नगर व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तों के कब्जे से 12.16 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली नगर पुलिस व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रात्रि गश्त एवं चेकिंग के दौरान 02 अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करों को अवैध सूखे गांजे के साथ थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के कनवारा हनुमान मन्दिर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 12.16 किलोग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वह उड़ीसा से गांजा लाकर बांदा व आस-पास के जनपदों में महंगे दामों में बेचते है। इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है कि इनके द्वारा कहां-कहां अवैध सूखे गांजे की सप्लाई की जाती है/की गई है।

बरामदगी-

- 12 किलो 166 ग्राम अवैध सूखा गांजा

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विवेक गुप्ता पुत्र राजकुमार गुप्ता निवासी गुरहा थोक कस्बा व थाना मटौन्ध जनपद बांदा।
2. साहिल सिंह पुत्र पुष्पेन्द्र सिंह निवासी चांदन थोक कस्बा व थाना मटौन्ध जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0- 578/25 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री राजेश कुमार मौर्य चौकी प्रभारी विश्वविद्यालय
2. श्री अनुराग पाण्डेय चौकी प्रभारी सिविल लाइन
3. हे0कां0 सतेन्द्र कुमार
4. हे0कां0 संदीप सिंह
5. हे0कां0 गोकुलेश मिश्र
6. कां0 अमित कुमार
7. कां0 जितेन्द्र द्विवेदी
8. कां0 माधव